भारत सरकार भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 64*

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को दिया जाना है

मैसर्स इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा लघु उद्योग इकाइयों की बकाया राशि का भुगतान

64*. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) को कोटा स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स इंस्ट्र्मेंटेशन लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध तीन वर्ष से अधिक समय से अनेक लघु उद्योग इकाइयों के भुगतान को रोक कर उनके साथ जालसाजी, धोखाधड़ी और ठगी करने के आरोपों के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है; और
- (घ) क्या उक्त लघु उद्योग इकाइयों को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)

उत्तर (क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

मैसर्स इन्स्ट्र्मेन्टेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा लघु उद्योग इकाइयों की बकाया राशि का भुगतान के संबंध में दिनांक 10.12.2013 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 64* के उत्तर में संदर्भित विवरण। (क) और (ख):

प्रधानमंत्री कार्यालय ने उचित कार्रवाई करने के लिए मेरे मंत्रालय को निम्नलिखित चार अभ्यावेदनों की प्रतियां भेजी हैं:

- 1) श्री संजय धोत्रे, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त दिनांक 12/07/2013 के पत्र में उल्लेख किया गया है कि 35 एसएसआई इकाइयों को देयताओं के भुगतान के मामले में धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है और अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच की जाए, मैसर्स केपिटल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (सीईएल) को भुगतान करने संबंधी आदेश जारी किए जाएं और कंपनी के वित्तीय मामलों का पता लगाया जाए।
- 2) श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संसद सदस्य, राज्य सभा से प्राप्त दिनांक 22/07/2013 का पत्र जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुरोध किया गया है कि इन्स्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा के गैर-कानूनी कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्रय आदेशों के निबंधन एवं शर्तों का पालन न करते हुए घोर उल्लंघन, धोखाधड़ी, ठगी और जालसाजी के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच शुरू की जाए तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय स्थिति की जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वित्तीय पैकेज प्राप्त होने के बावजूद भ्गतान जारी करने में कंपनी अपनी असमर्थता क्यों जता रही है।
- 3) श्री संजय धोत्रे, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त 4/9/2013 का पत्र जिसमें उन्होंने 12/07/2013 के अपने पिछले पत्र का हवाला दिया है और हस्तक्षेप करने के लिए संबंधित मंत्री को अनुदेश देने का अनुरोध किया है तािक एसएसआई इकाइयों को भ्गतान किया जा सके; तथा
- 4) श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संसद सदस्य, राज्य सभा से प्राप्त 9/9/2013 का पत्र जिसमें उन्होंने 22/7/2013 के अपने पिछले पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया है और अनुरोध किया है कि मामले की पड़ताल करने के लिए सीबीसी/सीएजी के माध्यम से जांच की जाए ताकि सीसीआई इकाइयों की राशि तत्काल जारी हो सके।

(ग) और (घ):

एसएसआई को विलंब से किए गए भुगतान/भुगतान न किए जाने से संबंधित संदर्भ जब भारी उद्योग विभाग की जानकारी में लाए गए तो उन पर गंभीरता से विचार किया गया और विभाग तीव्र निपटारे के लिए मामले को इन्स्ट्रमेन्टेशन लि. के प्रबंधन के साथ उठा रहा है। विभाग ने एसएसआई इकाइयों को बकाया देयताओं का भुगतान किए जाने संबंधी मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए और जितना शीघ्र संभव हो सके इसका निपटान करने के लिए 15.03.2013 को प्रबंधन को लिखित अनुदेश भी जारी किए हैं। विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप 07.03.2013 के अनुसार एसएसआई इकाइयों का 14.5 करोड़ रुपए का बकाया कम होकर 04.12.2013 की स्थिति के अनुसार 1.6 करोड़ रुपए हो गया है।

ध्यान आकर्षित किया जाता है कि इंस्ड्रमेंटेशन लिमिटेड जब से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित की गई है तभी से एक रुग्ण कंपनी है। यद्यपि वर्ष 2009/2010 में कंपनी के लिए एक संशोधित पुनरुद्धार स्कीम मंजूर की गई थी, परंतु स्कीम अब तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं की गई है और कंपनी गंभीर वित्तीय संकट तथा निधियों की अत्यधिक कमी का सामना कर रही है। कंपनी के कुछ प्रमुख आर्डर भी रद्द हो गए हैं या फिर विवाचन के अधीन हैं जिसकी वजह से कंपनी की कार्यशील पूंजी रुक गई है जिससे वित्तीय मुश्किलें और अधिक बढ़ रही हैं। वर्तमान में, यहां तक कि सांविधिक देयताओं का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारी चूक हो रही हैं। एसएसआई को विलंब से भुगतान/भुगतान न होने का कारण कंपनी द्वारा सामना की जा रहीं अत्यधिक वित्तीय मुश्किलें हैं।

इस प्रसंग में यह भी बताया जाता है कि एसएसआई इकाइयों को लंबित भुगतान के अलावा, कंपनी को एसएसआई इकाइयों से अन्य विभिन्न पूर्तिकारों को लगभग 20 करोड़ रु. की अदायगी करनी है। कंपनी ने सूचित किया है कि एसएसआई इकाइयों से माल की अधिप्राप्ति के समय उसके अधिकारी किसी धोखेबाजी में लिप्त नहीं हैं और माल की अधिप्राप्ति करते समय उन्होंने कंपनी की सभी क्रय संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किया है और वे निधियां उपलब्ध होने पर सभी देय भुगतानों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि एसएसआई इकाइयों को भुगतान न किए जाने/विलंब से भुगतान किए जाने का कारण कंपनी की खराब वित्तीय परिस्थिति है, इसलिए कंपनी के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न किया जाना उपयुक्त समझा जाता है।
